जिला सैक्टर योजना/एस0सी0एस0पी0
संख्या– 1352/XV-2/1(08)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) में आयोजनागत पक्ष की राज्य यौजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–372–74/लेखा–प्रस्ताव आयो0एससीएसपी/2010–11, दिनांक 05–05–2010 एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30–03–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विकास योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मदों में कुल धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	जनपद का नाम	धनराशि
1.	यातायात अनुदान	7.80
2.	प्रबंधकीय अनुदान	2.20
	योग–	**10.00**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण करा लिया जाये।
5. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्यता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजनाओं के लिये किया जाये।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–03–2011 तक उपयोग कर प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

9. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर सम्बन्धित जनपदीय दुग्ध संघों को उपलब्ध कराया जाय।
11. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–डेरी विकास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–92(P)/वित्त–4/2010, दिनांक 26मई, 2010 द्वारा प्राप्त उनके सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 1352/XV-2/1(08)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2 मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5 निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9 निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।